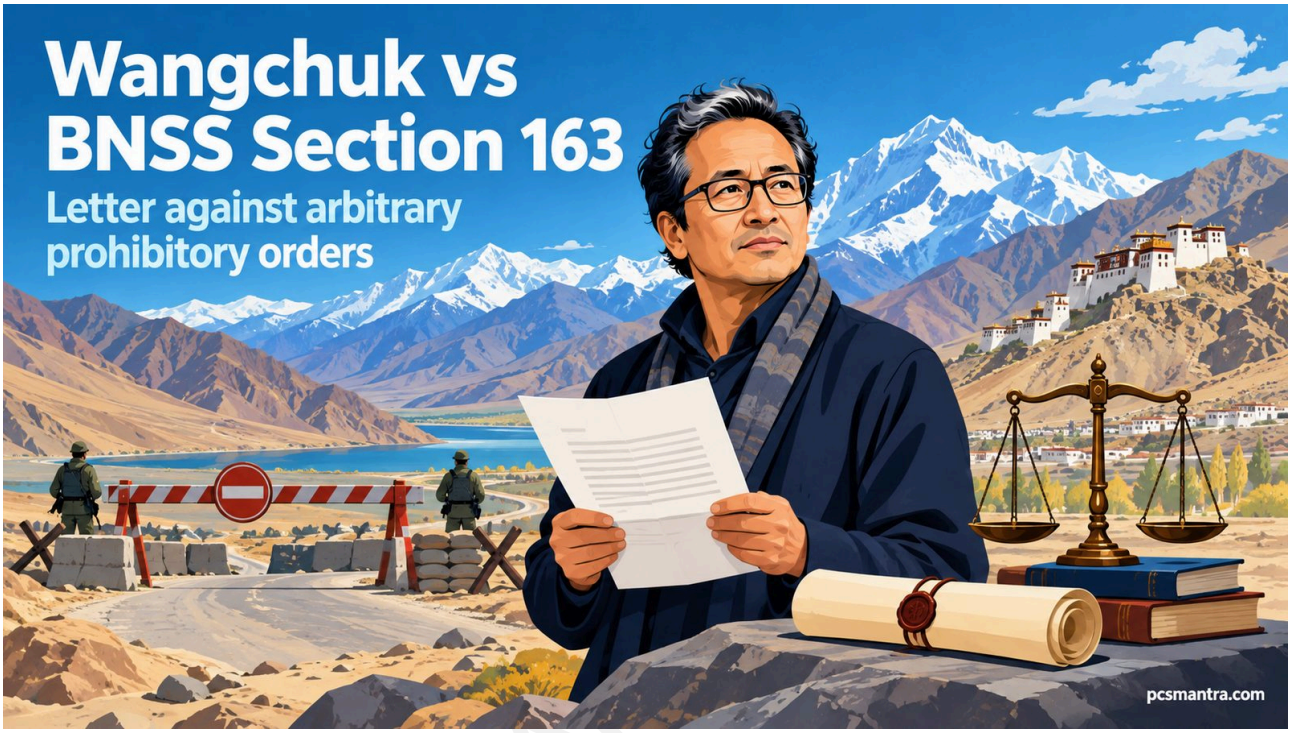
सोनम वांगचुक पर BNSS धारा 163: 'मनमाना और अस्पष्ट' प्रतिबंधों पर पत्र

प्रकाशित: 13 नवंबर 2026 · pcsmantra.com



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

13 नवंबर 2026: लद्दाख प्रशासन ने 11 नवंबर 2026 की शाम भारतीय न्याय संहिता के समानांतर नई नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(1) लगाकर पर्यावरणविद् और शिक्षा-सुधारक सोनम वांगचुक को विरोध-स्थल से उनके आवास भेज दिया। अगले दिन, 12 नवंबर को, वांगचुक ने प्रशासन को पत्र लिखकर इन प्रतिबंधों को "कानून के विरुद्ध, मनमाना, अस्पष्ट और असंगत" बताया और लिखित स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वे अपने घर से बाहर जा सकते हैं। यह घटना निवारक प्रतिबंधों (preventive restrictions) और मौलिक अधिकारों के संतुलन के बहस को फिर केंद्र में ले आई है।

क्या है BNSS की धारा 163

परिचय: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की जगह ली है। BNSS की धारा 163 वास्तव में CrPC की प्रसिद्ध धारा 144 की उत्तराधिकारी है।

मुख्य भाग: इस धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति या जनता को कोई कार्य करने से रोक सकते हैं या कोई कार्य करने का निर्देश दे सकते हैं, यदि उनके विचार से उस कार्य से किसी व्यक्ति को खतरा, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को क्षति, या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो। इसे "निवारक क्षमता" कहा जाता है, क्योंकि यह अपराध होने के बाद दंड देने के बजाय अपराध या अशांति को होने से पहले रोकने के लिए लगाई जाती है।

यह धारा व्यक्ति के आंदोलन, भाषण या जुटने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, इसलिए इसका प्रयोग सीधे अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 19(1)(b) (शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(d) (संचरण की

स्वतंत्रता) से जुड़ता है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत राज्य "उचित प्रतिबंध" (reasonable restrictions) लगा सकता है, पर वे प्रतिबंध अनुपातिक (proportionate) होने चाहिए।

क्या हुआ: प्रतिबंध और वांगचुक का जवाब

प्रशासन के आदेश के तहत वांगचुक पर 60 दिन का आवागमन-प्रतिबंध लगाया गया है। 12 नवंबर को अपने पत्र में वांगचुक ने कहा कि प्रतिबंध मनमाने, अस्पष्ट और असंगत हैं। उन्होंने प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वे अपने घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं। उनका यह भी दावा है कि उनके घर के बाहर हथियारबंद गार्ड तैनात हैं, जिससे स्थिति "वस्तुतः नज़रबंदी" जैसी बन गई है। ध्यान रहे, ये आरोप वांगचुक के अपने दावे हैं; प्रशासन का पक्ष अलग है, और प्रशासन ने प्रतिबंधों को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उचित बताया है।

पृष्ठभूमि: NSA मामला और लद्दाख की माँगें

यह वांगचुक पर प्रशासनिक कार्रवाई का पहला दौर नहीं है। इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नज़रबंद किया गया था, जिसे 14 मार्च 2026 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को उनकी याचिका को अनिर्वाचनीय (infructuous) घोषित कर दिया, क्योंकि नज़रबंदी ही समाप्त हो चुकी थी। व्यापक पृष्ठभूमि में लद्दाख में पूर्ण राज्यत्व और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत संरक्षण की माँगें हैं, जिनके समर्थन में वांगचुक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

संवैधानिक दृष्टिकोण: अनुच्छेद 19 और 21

अनुच्छेद 19: धारा 163 जैसे आदेशों की वैधता की कसौटी यह है कि प्रतिबंध "उचित" और "अनुपातिक" हैं या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धांत स्थिर हुआ है कि निवारक आदेश अस्पष्ट या अनिश्चितकालीन नहीं हो सकते; आदेश में आधार और सीमा स्पष्ट होनी चाहिए।

अनुच्छेद 21: यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, जिसके लिए "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तिसंगत होनी चाहिए। वांगचुक द्वारा लिखित स्पष्टीकरण माँगना इसी सिद्धांत से जुड़ता है — प्रतिबंधित व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि प्रतिबंध की सटीक सीमा क्या है।

आगे की राह

इस मामले में देखना होगा कि प्रशासन वांगचुक के स्पष्टीकरण का क्या जवाब देता है और क्या प्रतिबंधों को न्यायालय में चुनौती दी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से यह घटना तीन सवाल उठाती है - निवारक क्षमताओं की सीमा कहाँ हो, अस्पष्ट प्रतिबंध नागरिक स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक शक्तियों पर न्यायिक निगरानी की भूमिका क्या हो।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उत्तराधिकारी है।

2. इसके तहत मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकने या किसी कार्य का निर्देश देने के आदेश जारी कर सकते हैं।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

BNSS की धारा 163 CrPC की धारा 144 की उत्तराधिकारी है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सार्वजनिक शांति, मानव जीवन या सुरक्षा को खतरा देखने पर किसी व्यक्ति या जनता को कोई कार्य करने से रोक सकते हैं या कोई कार्य करने का निर्देश दे सकते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 2. धारा 163 (BNSS) जैसे निवारक प्रतिबंधों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के अधीन अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

2. अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य इन स्वतंत्रताओं पर बिना किसी सीमा के प्रतिबंध लगा सकता है।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध व्यक्ति के बोलने, एकत्रित होने और संचरण की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। कथन 2 गलत है - अनुच्छेद 19(2) केवल "उचित प्रतिबंध" (reasonable restrictions) की अनुमति देता है, जिनका परीक्षण न्यायालय अनुपातिकता के सिद्धांत पर करते हैं।

प्रश्न 3. सोनम वांगचुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई नज़रबंदी मार्च 2026 में रद्द कर दी गई थी।

2. वे लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत संरक्षण की माँग से जुड़े आंदोलन से जुड़े रहे हैं।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

वांगचुक की NSA के तहत नज़रबंदी 14 मार्च 2026 को रद्द हुई, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को याचिका अनिर्वाचनीय घोषित की। वे लद्दाख की राज्यत्व और छठी अनुसूची की माँगों के समर्थन में आंदोलन करते रहे हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।